REVIEW OF RESEARCH

महिला बाल विकास विभाग की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का कोरबा जिले में प्रभाव–एक अध्ययन

डॉ. स्वाति जैन[1] , कु. ममता राठौर[2]

[1]सहायक प्राध्यापक , वाणिज्य विभाग , डॉ सी. वी. रामन विश्वविद्यालय, कोटा जिला – बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
[2]शोधार्थी , एम. फिल. वाणिज्य विभाग , डॉ सी. वी. रामन विश्वविद्यालय, कोटा जिला – बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 8 | MAY - 2019

शोध सारांश :–

महिला सशक्तीकरण विकास और अर्थशास्त्र में चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। यह किसी विशेष राजनीतिक या सामाजिक में अन्य तुच्छ लिंगों के संबंध में भी संकेत कर सकता है। सभी क्षेत्रों में आर्थिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना आवश्यक है। आज पूरे देश दुनिया में महिला सशक्तिकरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस क्षेत्र में महिला बाल विकास विभाग का महत्वपर्ण यागेदान रहा है, जिसने उन्हें जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाये इनके माध्यम से महिलाएं आन्तरिक बाहय् रूप से सशक्त बन सके।

महिला एवं बाल विकास और महिला सशक्तिकरण दोनों ही अलग–अलग विषय है परन्तु सरकार के प्रयासों से इन दोनो विभागों को एक कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के उत्थाना हेतु कई योजना चला रहा है। इस शोध पत्र का उद्देश्य महिला एवं बाल विकास की नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करना है। महिला एवं बाल विकास के मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का अध्ययन करना है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक ऐसी योजना है जहां बहुत सारे जिलों में महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग से फायदा हो रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना द्वारा प्रदान की जा रही महिला सशक्तिकरण से संबंधित सभी तथ्यों को संकलन विश्लेषण जॉच कर निष्कर्ष तक पहुंचाना शोध का अंग है।महिला बाल विकास विभाग के मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का कोरबा जिले में सकारात्मक प्रभाव का गहनता से अध्ययन प्रस्तुत शोध में किया गया है।

कुजी शब्द :– महिला सशक्तिकरण, महिला एवं बाल विकास विभाग ,मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

परिचय :–

किसी भी ज्ञान व अज्ञान तथ्यों को गहनता से अध्ययन करने के लिए शोध कार्य किया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का महिला सशक्तिकरण में योगदान का अध्ययन का गहनता से अध्ययन प्रस्तुत शोध में किया गया है। अपनी निजी स्वतंत्रता एवं स्वयं के फैसले लेने के लिए महिलाओं को अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में हर समाज के सभी वर्ग के महिला बालकों का बीडा उठाया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना द्वारा प्रदान की जा रही महिला स''ाक्तिकरण से संबंधित सभी तथ्यों को संकलन वि''लेषण जॉच कर निष्कर्ष तक पहुंचाना शोध का प्रमुख अंग है है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के उत्थाना हेतु कई योजना चला रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक ऐसी योजना है जहां बहुत सारे जिलों में महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग से फायदा हो रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना द्वारा प्रदान की जा

रही महिला सशक्तिकरण से संबंधित सभी तथ्यों को संकलन विश्लेषण जॉच कर निष्कर्ष तक पहुंचाना शोध का अंग है।महिला बाल विकास विभाग के मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का कोरबा जिले में सकारात्मक प्रभाव का गहनता से अध्ययन प्रस्तुत शोध में किया गया है।

सभी महिलाओं हेतु उनका उत्थान व सशक्तिकरण आवश्यक है। महिलाओं को भारत ही नहीं बल्कि देशो में आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना महिला बालकों के लिए बहुत मददगार एवं उनके उत्थान के लिए बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। खास तौर पर गरीब वर्ग की महिला जिन्हे वास्तविक रूप से उत्थान की आवश्यकता है, उनके लिए विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यरत् है।निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार, सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन–देन की रोकथाम करना योजना का उद्देश्य है। महिला सशक्तिकरण का महिला बाल विकास विभाग का कोरबा जिले में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से कोरबा जिले की सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हुई ळें

उद्देश्य :–

इस अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित है।

01. महिला एवं बाल विकास की नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करना है।
02. महिला एवं बाल विकास के मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का अध्ययन करना।
03. महिला एवं बाल विकास विभाग को आवश्यक सुझाव प्रदान करना।

साहित्य की समीक्षा :–

महिला सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है जो कि बहुत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। देश को पूरे तरीके से विकसित बनाने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत जरूरी है। शोध से यह पता चलता है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना द्वारा महिला बालकों को जो सुविधाएँ दी जाती है उससे कितने लोग किस सीमा तक संतुष्ट है या नहीं। पूर्ण अध्ययन को मिलाकर साहित्य की समीक्षा की जाती है। इस पर अनेक समीक्षाएँ हुई है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर शोधकर्ता द्वारा शोध किया गया है।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में पूर्व में किये गये कार्यो की समीक्षा निम्नलिखित है –

(क) मोदी डॉ. के.एम. (2013) ग्रामीण महिलाओं के विकास के विकास में स्व सहायता समुहों का योगदान, कुरूक्षेत्र, पत्रिका जुलाई 2013 पेज नं. 13 –

किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महिलाओं के विकास में योगदान महत्वपूर्ण होता है। महिलाएँ समाज के अभिन्न अंग है अतः महिलाओं का विकास करके ही सर्वभौमिक विकास की कल्पना को सकार करना ही संभव है। पं. जवाहर लाल नेहरू ने ही इसी तथ्य को पुष्टि करते कहा था कि – यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा, महिलाओं का विकास करने पर समाज का विकास स्वतः हो जायेगा। वर्तमान युग में महिलाओं को सशक्त बनाने उनकी दक्षताओं और कौशल का विकास करने हेतु विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है जिनके कारण महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण व विकास में उपरोक्त सुधार दर्ज किया जा रहा है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की प्रभावी सहभागिता बढ़ रही है।

(ख) यादव चन्द्रभान (मई 2013) महिलाओं की सफलता का सशक्त माध्यम स्व सहायता समूह, कुरूक्षेत्र, पत्रिका जुलाई 2013 पेज नं. 10 :–

महिलाओं को आर्थिक दृष्टिकोण से सफल बनाने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा निरतंर प्रयास किया जा रहा है। सरकार के इस प्रयास की सर्थाकता भी सामने आ रही है। कल तक घर में कैद रहने वाली महिलाएँ आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में परचम लहरा रही है। स्व सहायता समूहों का गहन कर शहर से लेकर गांव तक अपनी साख कायम करने में जुटी हुई है। इसके माध्यम से महिलाएँ व्यवसाय के क्षेत्र में भी आगे आ रही है। समूह के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक दोनों तरह से विकास हो रहा है।

(ग) पंथ कविता (मार्च 2013) महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण की घोषणाएँ, योजना पत्रिका मार्च 2013 योजना भवन नई दिल्ली, पेज नं. 15 :–

सरकार ने कई योजनाएँ एवं घोषणायें की लेकिन देखना यह है कि क्या वे उनकी सरलता के साथ धरातल पर उतर सकी। इसके लिए महिलाओं एवं बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य व महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण एवं अन्य योजनाएँ कदापि बेहतर नहीं है। उन्हे और अच्छा बनाने की जरूरत है जिसके लिए शासन को महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की जो महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका अदा कर रहा है।

(घ) श्रीवास्तव डॉ. मिनाक्षी (2012), कामकाजी महिलाएँ वास्तविक स्थिति, हरिप्रकाशन दिल्ली पेज नं. 21 :–

आज भारत में कार्यशील महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा महिलाएँ घरो से निकलकर रोजगार के क्षेत्र में कदम रख रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि उच्च या मध्यम स्तर पर कार्य करने वाली महिला की संख्या बहुत मामूली है। जब कि निम्न तथा असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है। सशक्तिकरण से महिलाएं बहुत दुर है। इसलिए महिला एवं बाल विकास विभाग में उन्हे ही मध्यम एवं उच्च स्तर पर कामयाब महिला बनाने का अथक प्रयास किया जिसका उदाहरण विभिन्न योजनाएँ है जिससे महिलाओं ने काफी उन्नति की है।

(ड) आर्य राजाराम व भंवर मुकामसिंह (2011), राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी 2011, 21 सदी की महिलाएँ :–

संसार महिलाओं की स्थिति को प्रतिष्ठा प्रदान करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट संघ की सहायता से वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया था। इसका कारण यह है कि मानव समाज में महिलाओं की समस्या एक अहम सवाल है। मैक्सिको से महासचिव डॉ. कुर्च वाल्टहाइना ने कहा था'' महिलाओं के प्रति सदभाव की नीति उतनी ही गंभीर समस्या है जितनी अनाज की कमी बढ़ती हुई जनसंख्या की है। इसलिए विभाग ने कई कल्याणकारी योजनाओं से महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया है।

(ढ) नाटानी प्रकाशन नारायण (2010), महिला एवं बालिकाओं की अधिकार, विनायक प्रकाशन जयपुर, पेज नं. 04 :–

वर्तमान समय में महिलाओं की भूमिका बहुत अहम हो चुकी है, उन्हे सभी प्रकार की आवश्यक एवं मौलिक अधिकार उपलब्ध कराये जा रहे है।

शोध प्रणाली :–

प्रस्तुत अध्ययन में मुख्यतः द्वितीयक समंको का प्रयोग किया जाएगा। द्वितीयक समंको के लिए महिला बाल विकास विभाग से प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन, जनगणना पकाशन, सांख्यकीय प्रकाशनो, स्वास्थ्य गत समंको, रोजगार समंको, साख्यिकीय पुस्तिकाओं के माध्यम से प्राप्त आकंडे को द्वितीयक समंको के रूप में उपयोग कर उनके सारणीयण, विश्लेषण आधार पर प्रतिशत, विकास दर, प्रवृतिमान जैसे साख्यिकीय विधियो का उपयोग कर तथ्यो का सार्थक प्रस्तुतीकरण के लिए ग्राफ, चार्ट व रेखाचित्र का उपयोग कर निष्कर्षो को सार्थक ढग़ से प्रस्तुत कर विषय वस्तु की प्रस्तुति दी जाएगी।

महिला सशक्तिकरण महिला एवं बाल विकास –

''महिला सशक्तिकरण''

सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति के उस क्षमता से है जिससे उसमें यह योग्यता आ जाती है जिससे अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके।

महिला सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे है जहां परिवार व समाज के बंधनो से मुक्त होकर अपने निर्णयों के निर्माता खुद हो। देश को पूरी तरह से विकसित बनाने तथा विकास के लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी हथियार के रूप में है। महिलाओं मे सशक्तिकरण का तात्पर्य है शिक्षा आरै स्वतत्रं ता को समाहित करते हुए सामाजिक सेवाओं के समान अवसर प्रदान करना, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में उन्हे भागीदार व राज्य के नीति निर्देशक तत्व, समान कार्य के लिए समान वेतन, काननू के तहत सुरक्षा, स्वालम्बन का अधिकार, आदि मुद्दों को समाहित किया गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग :–

महिला एवं बाल विकास और महिला सशक्तिकरण दोनों ही अलग–अलग विषय है परन्तु सरकार के प्रयासों से इन दोनो विभागों को एक कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के उत्थाना हेतु कई योजना चला रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने गरीबों का सपना पूरा करने का जिम्मा लिया है और महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभाग का यह प्रयास कारगर सिद्ध हो रहा है।

कन्या विवाह योजना :–

प्रदेश के निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संबंध में होने वाली कठिनाईयों को देखते हुए छत्तीसगढ मुख्य मंत्री कन्यादान योजना लागू की गई है। निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से निर्धनों के मनोबल या आत्मसम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार, सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन–देन की रोकथाम करना योजना का उद्देश्य है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 18 से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को योजना के अंतर्गत 13,000/– रूपये तक की आर्थिक सहायता साम्रगी की रूप में देय होगी, जो कन्या की आवश्कयतानुसार निर्धारित की जायेगी। सामूहिक विवाह आयोजन के लिए कन्या राशि 2000/– रूपये तक व्यय की जा सकेगी। इस प्रकार योजनांतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 15000/– रूपये की सहायता राशि देय होगी।

विश्लेषण तथा व्याख्याः इस अध्ययन की विश्लेषण तथा व्याख्या निम्नलिखित है।

समंको की विवेचना
वर्ष – 2015–16

क्र.	परियोजना का नाम	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	कुल
1	पोड़ी उपरोड़ा	02	03	09	00	14
2	कटघोरा	03	02	01	00	06
3	पाली	10	03	12	01	26
4	पसान	05	01	02	01	09
5	चोटिया	03	01	00	00	04
6	हरदीबाजार	02	00	00	00	02
7	कोरबा (ग्रा)	07	05	03	01	16
8	कोरबा (श)	03	01	05	00	09
9	करतला	03	00	01	01	05
10	बरपाली	04	02	02	01	08
	कुल	**40**	**20**	**35**	**05**	**100**

विवेचना :– उपरोक्त सारिणी के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 2015–16 में मुख्यमंत्री कन्याविवाह योजना के अंतर्गत कोरबा जिले में 100 परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाया। जिसमें से 40 अनुसूचित जनजाति (ST), 20 अनुसूचित जाति (SC) तथा 35 अन्य पिछड़ा वर्ग और 5 सामान्य जाति के परिवार शामिल हुए।

जिसमें से सर्वाधिक पाली ग्राम के परिवार से थें।

वर्ष – 2016–2017

क्र.	परियोजना का नाम	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	कुल
1	पोड़ी उपरोड़ा	05	01	03	00	09
2	कटघोरा	06	00	02	02	10
3	पाली	03	01	00	00	04
4	पसान	25	03	03	01	32
5	चोटिया	00	02	01	00	03
6	हरदीबाजार	04	00	02	00	06
7	कोरबा (ग्रा)	04	03	09	01	17
8	कोरबा (श)	03	00	04	00	07
9	करतला	03	00	03	00	06
10	बरपाली	02	00	03	01	06
	कुल	**55**	**10**	**30**	**05**	**100**

विवेचना :– उपरोक्त आंकड़ो के अनुसार वर्ष 2016–17 में 100 परिवारों ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ उठाया। जिसमें से 55 अनुसूचित जनजाति (ST), 10 अनुसूचित जाति तथा 30 अन्य पिछड़ा वर्ग और 05 सामान्य जाति के परिवार शामिल हुए।
जिसमें से सर्वाधिक पसान ग्राम के परिवार से थे।

वर्ष – 2017–18

क्र.	परियोजना का नाम	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	कुल
1	पोड़ी उपरोड़ा	02	01	04	00	07
2	कटघोरा	06	02	03	00	11
3	पाली	02	01	04	00	07
4	पसान	26	02	04	00	32
5	चोटिया	04	00	02	00	06
6	हरदीबाजार	01	00	00	00	01
7	कोरबा (ग्रा)	05	00	02	01	08
8	कोरबा (श)	02	04	07	01	14
9	करतला	01	02	04	00	07
10	बरपाली	01	03	03	00	07
	कुल	**50**	**15**	**35**	**02**	**100**

विवेचना :– उपरोक्त सारिणी के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 2017–18 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ सर्वाधिक पसान ग्राम के 32 परिवारों ने लाभ उठाया जिनमें से 26 अनुसूचित जनजाति (ST), 2 अनुसूचित जाति परिवार तथा 4 पिछड़ा वर्ग शामिल हुए।

समंको का ग्राफिय प्रस्तूतीकारण

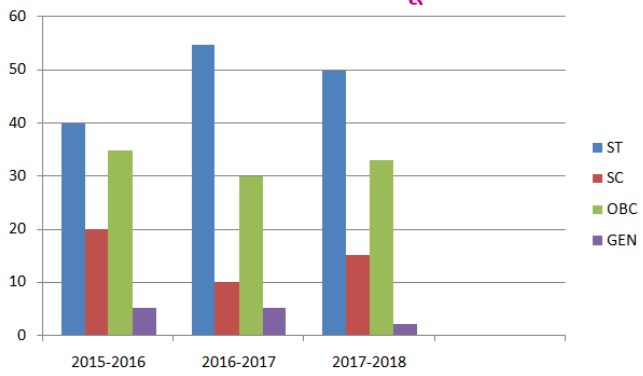

विवेचना :– उपरोक्त ग्राफ के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 2015–16,16–17 तथा 2017–18 तीनों वर्षो में वर्ष 2016–17 में कोरबा जिले के ST परिवार ने सर्वाधिक (55) लाभ उठाया है तथा सबसे न्यूनतम 2017–18 में 2 परिवारों ने लाभ उठाया।

परिणाम –

इस अध्ययन का परिणाम निम्नलिखित है।

01. महिला सशक्तिकरण का महिला बाल विकास विभाग का कोरबा जिले में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
02. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से कोरबा जिले की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है।

निष्कर्ष –

वर्तमान में महिला सशक्तिकरण की महत्ता सर्वाधिक है। महिला, बालको को मिलने वाली सुविधाएं और विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही होनी चाहिए ताकी स्थिति को और बेहतर बनाया जा सके। हम यह कह सकते है कि जब तक महिलाओं के विकास पर ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता है। इन नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है अब छत्तीसगढ की पहचान ऐसे प्रदेश के रूप में बनी है। जहॉ बेटियों को बोझ नही वरदान माना जाता है पहली बार प्रदेश के विभाग ने स्त्री जीवन के हर पड़ाव पर मददगार योजनाएँ बनायी है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा (छ.ग. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत) महिलाओं हेतु कार्य तो हो रहा है परंतु इन कार्यो को और भी बेहतर कर विकास किया जा सकता है। ये अभी शुरूआती प्रयास है आगे अभी काफी कार्य किये जा सकते है। इस योजना से कोरबा जिले की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है।

संदर्भ सूची –

- आर्य राजाराम व भवन मुकामसिंह (2011), राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी 2011, 21वीं सदी।
- नाटानी प्रकाशन नारायण (2010), महिलाओं और बालिकाओं के अधिकार, विनायक प्रकाशन जयपुर, पेज नं. 04।
- लता (डॉ. मंजू) 2009, अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न, अर्जुन पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली, पेज नं. 101,102
- मेमन रितु (2005), कर्मठ महिलाएं, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया।
- यादव चंद्रमान (मई 2003) महिलाओं की सबलता का सशक्त माध्यम स्वयं सहायता समूह, कुरूक्षेत्र पत्रिका जुलाई 2013 पेज नं. 10